

# फर्द अहकाम

लय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

हिरणवाडी

विपक्षी

नारायणसिंह

वाक


पत्रावली संख्या


165/23

सन्


कार्यवाही विवरण


हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

28/5/25  
वकुलाय वादी/प्रतिवादी उप उवाठ/कालात पत्र/वाटिल  
के लिये मौका चाहते है। अतः वाटिल  
अवसर दिया जाकर पत्रावली दि 16/7/25  
को पेश हो।  
  
(SDO) मावली

16/7/25  
वकुलाय वादी/प्रतिवादी उप उवाठ/कालात पत्र/वाटिल  
के लिये मौका चाहते है। अतः वाटिल  
अवसर दिया जाकर पत्रावली दि 25/9/25  
को पेश हो।  
  
(SDO) मावली

27/9/25  
पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान रुप।  
उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का  
बहिष्कार करने/शोक सभा कर न्यायिक कार्य  
स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/  
समय/मीटिंग में पधारे है। पत्रावली पूर्व आदेश  
के क्रम में दिनांक 15/12/25 को पेश हो। 6/0

15/12/25  
वकुलाय वादी/प्रतिवादी उप उवाठ/कालात पत्र/वाटिल  
के लिये मौका चाहते है। अतः वाटिल  
अवसर दिया जाकर पत्रावली दि 16/12/25  
को पेश हो।  
  
(SDO) मावली

16/12/26  
वकुलाय वादी/प्रतिवादी उप उवाठ/कालात पत्र/वाटिल  
के लिये मौका चाहते है। अतः वाटिल  
अवसर दिया जाकर पत्रावली दि 20/4/26  
को पेश हो।  
  
(SDO) मावली

20/04/26

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण  
मय स्वयं वादीगण अनुपस्थित। अधिवक्ता  
वादीगण मय स्वयं वादीगण को बार-बार  
आवाजे दिलवाई गई। समय साँय ६:०० PM  
ही चुके हैं। स्वयं वादीगण एवं उनके  
अधिवक्ता अब तक अनुपस्थित हैं। अतः  
अधिवक्ता वादीगण मय स्वयं वादीगण  
अनुपस्थित रहने पर वादीगण का वाद  
अदम लाजरी अदम पैरवी में खारिज  
किया जाता है। पत्रावली फैसलें शुमार  
होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय शुले न्यायालय सुनाया गया।



सहायक कलेक्टर  
(SDO) जयपुरी